IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
ऑफिस कॉम्पलैक्स, सैक्टर–9, शास्त्री नगर, मेरठ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

पत्रांक 1315 / अधी0अभि0–2/मेरठ/ 61 दिनांक: 24.7.2020

ई–निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में वांछित श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से ई–निविदा, सिंगल बिड पद्धति के माध्यम से निम्नांकित विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है, जो उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियंता, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद के आफिस काम्पलैक्स सै0–9, शास्त्रीनगर मेरठ स्थित कार्यालय में निम्न विवरण के अनुसार खोली जाएगी। कार्यों की मात्राएं बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होंगी, जो घट या बढ़ सकती हैं। ई–प्रक्योरमेंट सोल्यूशन द्वारा निविदायें सिंगल पद्धति से खोली जाएंगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (रू0 में)	ई–निविदा प्रकाशन तिथि	ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क तथा धरोहर धनराशि की आर0टी0जी0एस0 करने की अन्तिम तिथि एवं समय	ठेकेदार की पंजीकृत श्रेणी	निविदा पद्धति	खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जागृति विहार (विस्तार), यो0 सं0–11, मेरठ के सैक्टर–3ए में 33/11 केवी विद्युत सब स्टेशन की चार दीवारी निर्माण एवं इन्टरलॉकिंग टाईल्स लगाने का कार्य।	17.18	0.35	03 माह	1000+ जी0एस0टी0 18%	28.07.20	12.08.2020 अपरान्ह 04:00 बजे	ग्रुप–ए, श्रेणी–4 में पंजीकृत	एकल–बिड	निर्माण खण्ड–6, मेरठ
2	माधवपुरम योजना सं0–10, मेरठ के सै0–4 में अवशेष जलापूर्ति लाईन डालने का कार्य	5.70	0.12	02 माह	500+ जी0एस0टी0 18%	28.07.20	12.08.2020 अपरान्ह 04:00 बजे	ग्रुप–बी, श्रेणी–4 में पंजीकृत	एकल–बिड	निर्माण खण्ड–6, मेरठ

शर्तें:–

1. निविदा की वैधता निविदा खुलने की तिथि से तीन माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित प्रारूप में रू0 100/– का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर रू0 1/– का रेवेन्यू स्टाम्प हस्ताक्षरित निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. निविदा खोले जाने की तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेंगी।
3. निविदादाता फर्म को आयकर विभाग/जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
4. सभी देयकों से आयकर, लेबर सेस एवं अन्य कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी। जी0एस0टी0 का तत्समय प्रभावी शासनादेशों/परिषद आदेश के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार एवं फर्म द्वारा जी0एस0टी0 Invoice प्रस्तुत करने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा।
5. सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा में उल्लिखित बैंक खाते में ही जमा करायी जायेगी (विवरण निम्न प्रकार है), जो कि निर्धारित तिथि व समय तक डाली जानी होगी।

खण्ड का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	आई0एफ0एस0सी0 कोड
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–6, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ।	पंजाब नैशनल बैंक, सै0–2, शास्त्रीनगर, मेरठ	4009000100179980	PUNB0400900

7. **महत्वपूर्ण तिथियां**

क्र0सं0	विवरण	दिनांक	समय
1	ई–निविदा प्रकाशन तिथि	28.07.2020	–
2	निविदा डाउनलोड/अपलोड/आर0टी0जी0एस0 करने की प्रारम्भ तिथि (क्रमांक 1 एवं 2 हेतु)	31.07.2020	सायं 4:00 बजे तक
3	धरोहर राशि की आर0टी0जी0एस0 करने की अन्तिम तिथि	12.08.2020	सायं 4:00 बजे तक
4	निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि	12.08.2020	सायं 4:00 बजे तक
5	निविदा खोले जाने की तिथि	13.08.2020	पूर्वान्ह 11:00 बजे

8. समस्त कार्य उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/उ0 प्र0 लोक निर्माण विभाग/MORT&H की अद्यतन विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
9. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपरिहार्य कारणवश् निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सुरक्षित रहेगा।
10. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अद्यतन विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेगे।
11. कार्य की मात्रा किसी भी सीमा तक कम या अधिक हो सकती है। जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
12. निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाईट www.upavp.com एवं उ0प्र0 इलैक्ट्रोनिक कॉरपोरेशन की वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाईटों को देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बंध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
13. शासनादेश संख्या–622/231–12–2012–2/आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 08.06.12 के क्रम में निविदादाता द्वारा बिल ऑफ क्वान्टिटी के विरूद्ध डाले गये 10 प्रतिशत below तक 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक below पर 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफोर्मेन्स गारन्टी एफ0डी0आर0/ सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–6/8 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मेरठ के नाम बन्धक हो के रूप में जो कार्य की वास्तविक समापन तिथि तक वैद्य हो (समयवृद्धि प्रदान किये जाने की दशा में भी) निविदा की वित्तीय बिड खुलने की तिथि एवं कार्यालय द्वारा मांग करने की तिथि से अधिकतम 07 दिनों के अन्दर न्यूनतम निविदादाता को देनी होगी, जो कार्य के अन्तिम बीजक के भुगतान होने के बाद वापस होगी।
14. शासनादेश के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त सेण्ड, स्टोन ग्रिट/बैलास्ट आदि पर दी गयी रायल्टी के भुगतानों में चालान/रवन्ना आदेश की प्रति बीजक के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा नियमानुसार बीजक से रायल्टी की कटौती की जायेगी।
15. कार्यालय में निविदा डालने से पूर्व ठेकेदार/फर्म कार्यस्थल का निरीक्षण एवं निविदा प्रपत्रों का पूर्व अध्ययन अवश्य कर लें।
16. अनुबन्ध गठित करते समय ठेकेदार/फर्म को नियमानुसार धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी।
17. निविदादाता के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
18. निविदादाता को कार्य में सम्मिलित विशेष प्रकृति के कार्य, तत्सम्बन्धी कार्यो हेतु दक्ष अधिकृत एजेन्सी के पर्यवेक्षण में कराने होंगे।
19. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियम नियमावली वर्ष–2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा के लिए एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति/अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
20. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।
21. शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि (भवन निर्माण कार्य हेतु पॉच वर्ष एवं सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु दो वर्ष) हेतु कार्य की कुल लागत का एक प्रतिशत की वारन्टी धनराशि रोकी जाएगी, जो निर्धारित अवधि के पश्चात ही अवमुक्त की जाएगी।
22. ई–टैन्डरिंग में प्रतिभाग हेतु वांछित अर्ह श्रेणी के निविदादाता ही पात्र होंगे।
23. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिये। प्रगति आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित कार्य कम्यूलेटिव प्राप्त

कार्य पक्ष होगा।

निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर दरें कम (Below) मानी जायेगी।

25. यदि ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरटी) जमा की है तो निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर (जनरल सिक्योरटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ देय होगी।
26. कार्य के विलम्ब होने की स्थिति में रेरा में प्राविधानित क्लॉज के अनुसार निविदादाता पर पेनल्टी की बाध्यता लागू होगी।
27. निविदादाताओं/फर्म के निविदा स्वीकृति के दशा में कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में जो कि सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक हो, जमा करनी होगी।
28. निविदा अपलोड करते समय चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र (टी–4, टी–6) जो जिला मजिस्ट्रेट से निर्गत हो जो निविदा खुलने के तिथि के पश्चात तक वैध हो, लगाना होगा।
29. कार्य स्थल से ली गयी निर्माण सामग्री के सैम्पिल की जांच वाहय एजेन्सी से कराने पर उस पर आने वाले व्यय की कटौती ठेकेदार के देयकों से की जायेगी।
30. शासनादेश सं0–1345/86–2019 दिनांक 15.07.19 के अनुसार ठेकेदार/फर्म को स्थल पर लाई गयी सामग्री का नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध रवन्ना (E-MM-11) प्रस्तुत करना होगा तथा आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
31. शासनादेश सं0–3385/86–2015–292/2015 दिनांक 15.10.15 के अनुपालन में यदि ठेकेदार/फर्म नियमानुसार रायल्टी जमा नहीं करती है तो निर्धारित रायल्टी का पांच गुना ठेकेदार के देयक से वसूली की जायेगी।

अधीक्षण अभियन्ता

1315

पृसं0 /उपरोक्तानुसार/ तद् दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता(म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्टम/सप्तम/मंडोला/वृन्दावन/मुख्यालय वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/कानपुर/मुरादाबाद/आगरा/गाजियाबाद/बागपत को अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. इन्चार्ज कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को परिषद की वेबसाइट पर प्रसारित कराने का कष्ट करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, नि0खं0–5/6/8/32, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ/सहारनपुर।
5. संगणक/सहा0 अभि0, द्वितीय वृत्त, मेरठ।
6. नोटिस बोर्ड हेतु।
7. समाचार पत्र हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता